म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	लालदीन बनाम आनन्दसिंह व अन्य राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं0 05/2018 अन्तर्गत धारा 235, आर टी ए	

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी मय उसके अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

पत्रावली देखी गई। ग्राम देगावड़ी तहसील बाप के ख.नं. 53 रकबा 424.09 बीघा भूमि को लेकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य एक राजस्व वाद संख्या 256/2011 लालदीन वगैरा बनाम आनन्दसिंह वगैरा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा उपखण्ड अधिकारी बाप न्यायालय में विचाराधीन होना कहा तथा उक्त वाद की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान व बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकीयां दी जा रही है तथा अनुचित दबाव डालकर मुकदमा विड्रो करने को कहते है तथा गवाहन को डराया धमकाया जाता है अतः प्रार्थीगण को अपने द्वारा पेश किये गये उक्त राजस्व वाद में उपखण्ड अधिकारी बाप न्यायालय से न्याय मिलने की कोई संभावना नहीं है अतः इस कारण न्याय के लिए विवादग्रस्त भूमि को लेकर उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद को उपखण्ड अधिकारी बाप एवं फलोदी को छोड़कर अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस में यह भी कहा कि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से जान माल का नुकशान होने की संभावना है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा व्यवधान व बाधा उत्पन्न करने एवं प्रार्थीगणों को निरन्तर जान से मारने की धमकिया देने के आरोप लगाते हुए उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष विचाराधीन उक्त वाद को स्थानान्तरित करने का मुख्य आधार लिया गया, परन्तु प्रार्थीपक्ष द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तोवजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसे संबंधित न्यायालय में वाद सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण द्वारा बाधा उत्पन्न करने या जान से मारने की धमकियां दी गई हो।

प्रार्थीगण द्वारा इसी न्यायालय के समक्ष धारा 235, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र पेश करते हुए उपखण्ड अधिकारी बाप न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 55/11 (177/2013) लालदीन वगैरा बनाम महेन्द्र खां को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सुनवाई के लिए

लगातार....

अन्यत्र न्यायालय को स्थानान्तरित किये जाने का पेश किया गया जो निरस्त किया जा चुका है, अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र भी सारहीन मानते हुए निरस्त किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।